न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—236/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00236)

1. अमरा पुत्र सुखा जाति चमार निवासी पिपलीया तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र उगमा निवासी पिपलीया तहसील भिनाय जिला अजमेर।
3. गोपाल पुत्र उगमा निवासी पिपलीया तहसील भिनाय जिला अजमेर।
4. इंद्र पुत्र उगमा निवासी पिपलीया तहसील भिनाय जिला अजमेर।
5. श्रीमती छाउ पत्नी उगमा निवासी पिपलीया तहसील भिनाय जिला अजमेर।
6. रसाल पुत्री उगमा निवासी पिपलीया तहसील भिनाय जिला अजमेर।
7. श्री किशन पुत्र सुखा जाति बैरवा निवासी पिपलीया तहसील भिनाय जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 02/2011

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः—16.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया व दिनांक 12.11.2012 को जवाब सरकार पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया व दिनांक 12.12.2013 को वादीगण द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट संख्या 07 को पक्षकार बनाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया व साथ ही आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2016 को स्वीकार कर अपीलांट संख्या 7 को पक्षकार बनने का आदेश प्रदान किया व आदेश 22 नियम 04 सीपीसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया व मृत व्यक्ति के वारिसान को रिकार्ड पर लेने आदेश प्रदान किया। तत्पश्चात विपक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया जिस पर दिनांक 15.2.2018 को बहस दोनों पक्षों की सुनकर दिनांक 22.02.2018 को विपक्षी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को खारिज करने का न्यायोचित आदेश प्रदान किया तत्पश्चात पत्रावली लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र भिनाय में नियम

किया जाकर एक तरफा सिर्फ अमरा को यह कहते हुए फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाए की आपके प्रकरण में तारीख पेशी दी जा रही है और बकाया वादीगण की अनुपस्थिति व वादीगण के वकील की अनुपस्थिति में उसी रोज तहसीलदार, भिनाय का दुबार जवाब लेकर गैर कानूनी रूप से वादीगण के वाद को खारिज करने के आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.5.2018 की जानकारी पूर्व में नहीं हो चुकी क्योंकि लोक अदालत के समक्ष सिर्फ अमरा उपस्थित हुआ था जिसे भी यह कहते हुए फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाए थे कि आपके प्रकरण में तारीख पेशी दी जा रही है इसलिए अमरा इस आश्वासन में रहा कि मेरे प्रकरण मे तारीख पेशी दी गई है इसके पश्चात अमरा द्वारा बार–बार उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष जाकर निवेदन किया कि मेरे प्रकरण में तारीख पेशी किया है इसके बावजूद भी अमरा को कोई तारीख पेशी नहीं दी गई तब अमरा द्वारा अपने वकील श्री सावरलाल जाट से सम्पकै किया तो वकील साहब ने भी यह कहा कि मैं केकडी से भिनाय आउंगा तब आपकी तारीख पेशी मालूम करके दे दूंगा इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी के रिडर साहब द्वारा तारीख पेशी नहीं दिए जाने पर मेरे द्वारा दिनांक 1.5.2018 की फर्द अहकाम की नकल प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2018 को पेश किया तब प्रार्थी को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई व दिनांक 25.07.2018 को प्रार्थी को उपरोक्त निर्णय व डिक्री प्रति प्राप्त हुई इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा फीस की व्यवस्था कर अविलंब अजमेर आकर अपने दिनांक 7.8.2018 अभिभाषक से सम्पर्क किया व आज दिनांक 8.2.2018 को अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge***.**
चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि लोक अदालत में प्रकरण का जब ही निस्तारण किया जा सकता है जब दोनों पक्षकार सहमत हो जब कि उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई थी इसके बावजूद सिर्फ अमरा पुत्र सुखा के फर्द अहकाम पर तारीख पेश देने बाबत कहते हुए हस्ताक्षर करवाकर जो निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी द्वारा कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किए न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसे की वादी के वाद का प्रतिवादी किया जाए इसके बावजूद भी बिना साक्ष्य के वादी के वाद को खारिज करने का निर्णय प्रदान किया है। वादी का विवादित मुतनाजा पर करीब 100 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके बाबत सिविल न्यायधीश केकडी के द्वारा भी वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी कर यह निर्णय प्रदान किया है कि वादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल नहीं करे व न ही विपक्षी द्वारा वादीगण के विरूद्ध बेदखली का कोई वाद प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिंदु के विरूद्ध जाकर वादीगण का वाद खारिज करने का जो आदेश प्रदान किया है व नियमों के विपरीत होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध न्यायालय में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुंत की थी जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 12.6.2015 को अपीलांट का कब्जा काश्त मानते हुए स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निर्णय प्रदान करते हुए अपीलांट को बेदखल नहीं करने के आदेश प्रदान किए थे। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात गै0मु0 बाडा है जिस हेतु वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। विवादित भूमि सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलांटस खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है या नही इन सबका निस्तारण

मूल वाद में तय होगा किंतु तब तक विवादित भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अपीलांटस को कब्जे करने की छूट दिया जाना विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि दिनांक 19.4.2018 को पत्रावली को लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत बूबकिया में नियत किया गया था अपीलांट द्वारा यह कथन करना की ***"पत्रावली को केम्प कोर्ट बूबकिया में दिनांक 1.5.2018 नियत किया जाकर वादी को तारीख देने बाबत कहते हुए फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाए जाकर गैर कानूनी रूप से वादी के वाद को दिनांक 1.5.2018 को बिना वादी अभिभाषक की बहस सुने खारिज करने का गैर कानूनी आदेश पारित किया गया है। "***

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पत्रावली में संलग्न नोटिस जो केम्प कोर्ट बूबकिया में सुनवाई हेतु जारी किया गया था। उक्त नोटिस अपीलांट अमरा स्वयं को तामील करवाया गया था तथा दिनांक 1.5.2018 को अपीलांट स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 1.5.2018 को सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किए। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न केम्प कोर्ट बूबकिया हेतु जारी नोटिस एवं आदेशिका दिनांक 1.5.2018 से पूर्णतयाः सिद्ध है। अतः अपीलांट द्वारा किया गया उक्त कथन रिकार्ड के विरूद्ध है तथा अपील में चलने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रथम तनकी ***" आया की वादीगण वाद वर्णित आराजीयात पर कब्जा काश्त होने से खातेदार काश्तकार होने की घोषणा का अधिकार रखते है? "*** वादीगण द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वह उक्त आराजीयात पर अपना कब्जा सिद्ध कर पाने में सक्षम हो चूंकि वादी द्वारा इस संबंध में प्रदर्श–3 लगायत 14 प्रस्तुत किए है जो जो अलग अलग काश्तकार द्वारा वर्ष 2007 से संबंधित है। जो केवल मात्र रसीद व नोटिस की प्रति है। वादीगण को 10 वर्षों की रसीद उपलब्ध करवानी चाहिए थी जो कि वादीगण प्रस्तुत नहीं कर सके। जिस हेतु वादीगण उक्त आराजीयात पर अपना कब्जा काश्त बताने में असफल रहे अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी पर किए गए विवेचन से न्यायालय हाजा का भी यही मत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित द्वितीय तनकी ***" आया कि प्रतिवादी वाद वर्णित आराजीयात राजकीय भूमि हो से वाद खारिज कराने के अधिकारी है? "*** इस तनकी अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–3 लगायत 14 प्रस्तुत किया जो कि अलग–अलग काश्तकार द्वारा अंतर्गत धारा 91 के नोटिस व रसीद की प्रतियां है। जिससे यह स्पष्ट है कि भूमि वर्तमान में सिवायचक खाते में दर्ज है व उक्त भूमि राजकीय भूमि है। वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहते है। जिसके वह अधिकारी नहीं है चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम पिपलिया की जमाबंदी में सिवायचक खाते में दर्ज है। वर्तमान में उक्त आराजीयात सिवायचक

सरकारी भूमि जिमन नम्बर 1 में किस्म गै0मु0 बाडा दर्ज है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि जो गैर कृषि कार्य हेतु नियत है। पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा बाबत नियमानुसार न्याय संगत नहीं है। क्योंकि वादीगण को राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार नियत दिनांक से लगातार कब्जा काश्त अनवरत सिद्ध नहीं होता है तथा वादग्रस्त भूमि कृषि कार्य हेतु नहीं है। उक्त आराजीयात से संबंधित वादीगण द्वारा सिविल न्यायालय केकडी, में वाद प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय ने गै0मु0 बाडा घोषित कर वाद का निर्णय दिनांक 18.10.2010 को किया गया। वादी अमरा के नाम ग्राम पीपलिया जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 5 में वादी अमरा पुत्र सुखा कौमा बैरवा कि 2.20 है0 खाता संख्या 14 में 0.01 खाता संख्या 15 में 0.04 खाता संख्या 20 में 0.16 खाता संख्या 99 में 0.06 तथा खाता संख्या 100 में 1.81 है0 इस प्रकार वादी के हित में कुल धारित रकबा 4.28 है0 अर्थात 26 बीघा 15 बीस्वा होता है जो आवंटन नियमों के मुताबिक 25 बीघा से अधिक है जो यदि वादवर्णित भूमि कृषि भी होती तो वादी आवंटन/नियमन/घोषणात्मक डिक्री कराने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण तय की गई जो कि न्याय संगत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का अनवरत कब्जा काश्त होना नहीं पाया जाता व वादीगण अपना कब्जा काश्त साबित नहीं कर पाए है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि वादी द्वारा ग्राम पिपलिया स्थित खसरा नम्बर 642 रकबा 0.40 है0 हेतु एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया क्यों कि वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर कृषि भूमि होने के कारण उपरोक्त दोनों तनकी विरूद्ध वादीगण तय की गई। वादी द्वारा ग्राम पिपलिया स्थित खसरा नम्बर 642 रकबा 0.40 हेतु प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उपरोक्त तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया है जिसमें न्यायालय हाजा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं प्रतीत होने से उक्त अपील खारिज योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर